बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड
Bihar Board Of Open Schooling & Examination
मानव संसाधन विकास विभाग,बिहार का स्वायत संस्थान
Website: www.bbose.org Phone No. : 0612-235566
Email ID:info@bbose.org Fax No. : 0612-2355662

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना द्वारा बक्सर मुक्त कारा में शिक्षण एवं व्यावसायिक प्रशिक्षकों द्वारा आवेदन आमंत्रित करने हेतु

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि विद्यालयी एवं व्यावसायिक शिक्षा से वंचित बालक/बालिकाओं एवं अन्य व्यस्कों को ''मुक्त विद्यालयी शिक्षा'' के माध्यम से, शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा ''बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना'' की स्थापना 18.02.2011 को की गयी है।

''बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना'' एवं गृह विभाग (कारा) द्वारा बक्सर मुक्त कारा में अध्ययन/प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना कारा संवासियों के लिए की गई है जिसमें बोर्ड द्वारा संवासियों को निम्नांकित पाठ्यक्रम में शिक्षा दी जानी है।

(a) माध्यमिक स्तर तक की पढ़ाई
(b) व्यावसायिक विषयों में प्रशिक्षण

विषयों की सूची निम्नलिखित हैः–

1. मशरूम उत्पादन
2. मधुमक्खी पालन
3. वर्मी कम्पोस्टींग
4. फल और सब्जी का रखा रखाव
5. मुर्गी पालन
6. पोशाक सिलाई
7. कम्प्यूटर बेसिक

उपरोक्त पाठ्क्रमों में शिक्षण/प्रशिक्षण देने हेतु 'बोर्ड' योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित कर रहा है।

बोर्ड शिक्षकों/प्रशिक्षकों की सेवाओं के उपयोग के लिए उन्हें दैनिक मानदेय प्रति कक्षा/प्रति घंटे पर भुगतान करेगा।

आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य आवश्यक सूचनाएँ प्राप्त करने हेतु बोर्ड के बेबसाइट **www.bbose.org** अथवा **0612–2355668** पर जानकारी प्राप्त कर सकते है या कार्यालय में स्वंय उपस्थित होकर किसी कार्य दिवस में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन देने की अंतिम तिथि ---01/07/2012 ... है।

बक्सर मुक्त कारा में शिक्षण एवं व्यावसायिक प्रशिक्षकों के लिए आवश्यक योग्यता–

1. माध्यमिक शिक्षाः स्नातक, बी.एड/सरकारी, गैर–सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर की कक्षाओं को पढ़ाने का अनुभव रखने वालों को प्रथामिकता दी जाएगी।

2. व्यासायिक शिक्षणः आई.टी.आई सर्टिफिकेट कोर्स योग्यताधारी/अन्य सरकारी संस्थानों से समकक्ष सर्टिफिकेट/डिप्लोमाधारी/जिन्हें किसी सरकारी/गैर–सरकारी/निजी संस्थान में संबंधित विषय शिक्षण/प्रशिक्षण देने का अनुभव हो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

(दिनेश सिंह विष्ट)
मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी